



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052025-263240
CG-DL-E-20052025-263240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 20, 2025/वैशाख 30, 1947

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 20, 2025/VAISAKHA 30, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2025

सा.का.नि. 323(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 22-ख के उपनियम (4) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु खनन योजना के अंतर्गत ब्लॉक सीमा के बाहर का क्षेत्र हो सकेगा, यदि गैर-कोयला धारक क्षेत्र या कोयला धारक क्षेत्र से कोयले के निष्कर्षण की अव्यवहार्यता के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:

परंतु यह और कि कोयला धारक क्षेत्र के मामले में, परियोजना प्रस्तावक को इस आशय का वचन देना होगा कि खनन योजना में उल्लिखित अवधि के भीतर ओवरबर्डन को पुनः हैंडल किया जाएगा।”

3. मूल नियमों में, नियम 22ड के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"22ड अनुमोदित खनन योजना में उपांतरण -(1) यदि अनुमोदित खनन योजना में कोई उपांतरण किया जाता है तो परियोजना प्रस्तावक नियम 22ख के अनुसार उपांतरित खनन योजना प्रस्तुत करेगा।

परंतु परियोजना प्रस्तावक, संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन से, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकेगा और कोयला नियंत्रक तथा केंद्रीय सरकार को सूचनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के परंतुक में निर्दिष्ट छोटे-मोटे परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -

- (i) कुल पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर भूमि के प्रकार में परिवर्तन;
- (ii) स्थान और अवसंरचना के प्रकार में परिवर्तन जैसे खान खोलना, ओपनकास्ट कार्य के लिए बॉक्स कट, भूमिगत कार्य के लिए शाफ्ट और इंक्लाइन जैसे प्रवेश और निकास, परियोजना क्षेत्र के भीतर कार्यालय परिसर और पश्चात्कर्त्ती संबंधित परिवर्तन;
- (iii) खान योजना की स्वीकृत रेटेड क्षमता में उत्पादन में पचास प्रतिशत तक की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि के लिए अपेक्षित परिवर्तन;
- (iv) अनुमोदित खनन योजना में प्रदत्त खनिजों की सुरक्षा और संरक्षण को प्रभावित किए बिना भूमिगत खनन में विभिन्न सीम के निष्कर्षण के क्रम में परिवर्तन;
- (v) खनन पद्धति में परिवर्तन किए बिना रेत भराई अथवा पेस्ट फिलिंग सहित कैविंग से डिपिलरिंग के साथ डिपिलरिंग;
- (vi) शाफ्ट से इंक्लाइन या इंक्लाइन से शाफ्ट तक प्रवेश और निकास के प्रकार में परिवर्तन;
- (vii) ओवरबर्डन से रेत बनाने के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु अपेक्षित भूमि;
- (viii) उपकरण के विनिर्देश या विन्यास में परिवर्तन और हवी अर्थ मूविंग मशीनरी परिनियोजन योजना में परिवर्तन;
- (ix) हाईवाल खनन, यदि ओपनकास्ट खानों में आरंभ किया गया हो;
- (x) लागू विधि के उपबंधों के अधीन सौर संयंत्र, पंप भंडारण परियोजनाओं, गैसीकरण, नवीकरणीय स्रोत, वाँशरी आदि की स्थापना सहित पुनः प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग;
- (xi) अधिक यंत्रीकरण (शाँवेल डम्पर से सतही खनिक, अर्ध यंत्रीकृत खनन से सतत कोयला कटिंग प्रौद्योगिकियां आदि) के लिए खनन पद्धति के भीतर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन;
- (xii) खानों में वाँशरी रिजेक्टस अथवा फ्लाई ऐश की डंपिंग;
- (xiii) खान बंद करने की योजना में सामुदायिक विकास और आजीविका परियोजनाओं को शामिल करने के लिए व्यय पद्धति में परिवर्तन;

परंतु आवंटित कोयला खानों या कोयला ब्लॉकों के मामले में, खनन योजना में किसी ऐसे उपांतरण जिसके परिणामस्वरूप ऐसे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार, और परियोजना प्रस्तावक के बीच किए गए करार में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों या दक्षता मापदंडों में परिवर्तन होता है, के लिए, यथास्थिति, कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 6 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।”

4. मूल नियमों में, नियम 29क में, –

(i) उप-नियम (1) में, -

(क) "अंतिम", शब्द के स्थान पर, "अंतिम या अस्थायी", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "प्रादेशिक नियंत्रक", शब्दों के स्थान पर, "प्रादेशिक खान नियंत्रक या कोयला नियंत्रक", शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) में, "प्रादेशिक खान नियंत्रक", शब्दों के पश्चात्, "या कोयला नियंत्रक", शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं.12012/2/2021-पीएस1]

रुपेंद्र बरार, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-धारा (i) में संख्या सा.का.नि. 1398, तारीख 26 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 684 (अ), तारीख 07 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2025

G.S.R. 323(E).—In exercise of powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as principal rules), in rule 22-B, in sub-rule (4), for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

“Provided that the mining plan may cover an area beyond the block boundary if a no objection certificate is issued by the State Government for such area after considering the certificate issued by the Central Mine Planning and Design Institute Limited for non-coal bearing area or non-feasibility of extraction of coal from coal bearing area:

Provided further that in case of coal bearing area, the project proponent shall submit an undertaking to the effect that the overburden shall be re-handled within the period mentioned in the mining plan.”.

3. In the principal rules, for rule 22E, the following rule shall be substituted, namely:—

"22E. Modification of approved mining plan. — (1) In case any modification is made in the approved mining plan, the project proponent shall submit the modified mining plan as per rule 22B.

Provided that the project proponent, with the previous approval of Board of Directors of the Company concerned, may make the minor changes specified in sub-rule (2) and submit to the Coal Controller and the Central Government for information.

(2) The minor changes referred to in the proviso to sub-rule (1), shall consist of following, namely:—

(i) changes in land type within the total leased area;

(ii) changes in location and type of infrastructure such as, mine opening, box cut for opencast working, access egress like shaft and incline for underground working, office premises within the project area and subsequent related changes;

(iii) increase in production up to fifty per cent. of the sanctioned rated capacity of mine plan and the changes required for the production enhancement;

- (iv) change in sequence of extraction of different seam in underground mining without affecting the safety and conservation of minerals provided in the approved mining plan;
- (v) depillaring with caving to depillaring with stowing or paste filling without change in mining method;
- (vi) change in type of ingress and egress from shaft to incline or incline to shaft;
- (vii) the land required for installation of plant for manufacturing sand from over burden;
- (viii) changes in the specification or configuration of equipment and changes in the heavy earth moving machinery deployment plan;
- (ix) highwall mining, if introduced in opencast mines;
- (x) use of land for repurposing including installation of solar plant, pump storage projects, gasification, renewable source, washery etc. subject to the provisions of applicable law;
- (xi) change in technology within the method of mining for more mechanisation (shovel dumper to surface miner, semi mechanised mining to continuous coal cutting technologies etc.);
- (xii) dumping of washery rejects or fly-ash in mines;
- (xiii) change in expenditure pattern to include community development and livelihood projects in the mine closure plan:

Provided that in case of allocated coal mines or coal blocks, prior approval of the nominated authority referred to in sub-section (1) of section 6 of the Coal Mines Special Provisions Act, 2015 (11 of 2015) or the Central Government, as the case may be, shall be required for any modification in the mining plan which result in changes in the terms and conditions or efficiency parameters mentioned in the agreement entered into between such nominated authority or the Central Government, and the project proponent.”.

4. In the principal rules, in rule 29A, –

- (i) in sub-rule (1), –
 - (a) for the word “final”, the words “final or temporary” shall be inserted;
 - (b) for the words “Regional Controller”, the words “Regional Controller of Mines or the Coal Controller” shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (2), after the words “Regional Controller of Mines”, the words “or the Coal Controller” shall be inserted.

[F. No.12012/2/2021-PS1]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1398, dated the 26th November, 1960 and last amended *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 7th November, 2022.